न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 02/2011

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
नेनूदेवी पत्नि सिमरथाराम जाति जाट निवासी गोरियों का तला तहसील शिव		1.ग्राम पंचायत काश्मीर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत काश्मीर 2.देदाराम पुत्र अखाराम जाति मेगवाल निवासी काश्मीर तहसील शिव

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा दिनांक 19.10.1982 जो सरपंच ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 देदाराम के नाम से जारी किया गया

उपस्थितः– 1.प्रार्थीनी संख्या 01 अनुपस्थित, अधिवक्ता उपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01, अनुपस्थित 02 उपस्थित

निर्णय दिनांक 21.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीनी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत काश्मीर ने अप्रार्थी संख्या 02 देदाराम को ग्राम काश्मीर मे आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 19.10.1982 को जारी किया गया। प्रार्थीनी का यह कथन है कि ग्राम काश्मीर में प्रार्थीनी के स्वामित्व एंव आधिपत्य का भूखण्ड 50X30 वर्ग फीट माप का आया हुआ है। जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। प्रार्थीनी ने उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधित जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाकर मिसल कायम नहीं कर विधि विरूद्ध पट्टा जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत काश्मीर से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत काश्मीर ने दिनांक 05.03.2012 को पत्र पेश कर देदाराम पुत्र अखाराम के नाम से पट्टा सम्बन्धी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत काश्मीर में उपलब्ध नही होना बताया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र रामावत ने दिनांक 22.01.2013 को जवाब पेश कर आवेदन पत्र के पद संख्या 01,03.06 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थीनी की निगरानी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थीनी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रही, प्रार्थीनी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 देदाराम के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 19.10.82 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अध्याय 13 जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिये हुए है, का अवलोकन किया गया। निगरानी पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत काश्मीर ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत बनाये गये आबादी भूमि के बिक्री आवंटन के नियमो की कोई पालना नहीं की गई है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत कोई भी व्यक्ति पंचायत से आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो पंचायत को लिखित में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उस भूमि का ऐसा वर्णन होना चाहिये जो खरीदी जाने के लिये प्रस्तावित भूमि को पहचानने के लिये पर्याप्त हो। नियम 256(2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने के लिये खर्चे के 2/–की राशि पंचायत में जमा करायेगा और इस मामले में एक फाईल कायम की जावेगीं। तत्पश्चात् नियम 257(2) के अनुसार एक नक्शा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा। नियम 257(5)के अनुसार तैयार किये गये नक्शे में बेची जाने वाली भूमि की सीमाओ को लाल स्याही द्वारा बताई जायेगी तथा उस आवेदक एंव उस व्यक्ति के जिसने उसे तैयार किया है, हस्ताक्षर होगें। नियम 258 के तहत तीन पंचो से स्थल निरीक्षण करने का प्रावधान है जो उप नियम (1)के अधीन क से घ में अपनी रिपोर्ट देगी और नियम 259 के तहत अनन्तिम विनिश्चय पारित करना चाहिये। इसके बाद

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नियम 260 के अनुसार पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया जावेगा व उजरदारी सुनायी जावेगी तथा नियम 261 के नीचे आपतियों का निपटारा किया जाकर नियम 262 के तहत नीलाम की जाएगी तथा नीलामी की कार्यवाही होने के बाद उसे नियम 265 के तहत स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इस मामले में ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों में निर्धारित प्रकिया को अपनाऐं बिना एंव मिसल कायम किये बिना पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एंव इसके तहत बने नियमो के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की वैधता, शुद्धता एंव औचित्यता के बारे में मूल रेकर्ड से परीक्षण करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में कोई रिकॉर्ड कायम किये बिना एंव ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित किये बिना पट्टा दिनांक 19.10.82 जारी किया है। ग्राम पंचायत काश्मीर से रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एंव पदेन ग्राम पंचायत काश्मीर ने अपने पत्र दिनांक 05.03.2012 द्वारा देदाराम पुत्र अखाराम के नाम पट्टा सम्बन्धी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत काश्मीर में उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस निगरानी में ग्राम पंचायत प्रभावी पक्षकार है,ग्राम पंचायत ने जो उक्त तथ्य प्रकट किये है उसके सम्बन्ध में देखा जावे तो पट्टे के सम्बन्ध में जो अभिव्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई है,वह अभिलेख पर है तथा सरपंच ग्राम पंचायत को ग्राम के प्रति तमाम शक्तिया निहित होती है। निगरानी में यदि ग्राम पंचायत कोई अभिव्यक्ति व्यक्त करती है तो उसे विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे से सम्बन्धित कोई मिसल कायम नहीं करना एंव ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल के पट्टा जारी करने को नकारा नहीं जा सकता है। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस के प्रत्युतर में साक्ष्य दस्तावेज से प्रमाणित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विकय विलेख उसके स्वामित्व,आधिपत्य एंव विश्वसनीय है। मगर इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। और प्रार्थीनी ने भी अपने कथनो के समर्थन में विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एंव आधिपत्य के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत शिव ने बिना रेकर्ड कायम किये एंव नियमो में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना पट्टा जारी किया है जो गलत एंव नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार पट्टे की सत्यता निर्विवाद रूप से साबित नहीं है। अप्रार्थीगण इस मामले में कोई साक्ष्य सबूत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एंव रेकर्ड उपलब्ध कराने में असफल रहा है। जिसके अभाव में पट्टा विलेख दिनांक 19.10.82 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीनी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 देदाराम पुत्र अखाराम के नाम जारी पट्टा दिनांक 19.10.82 खारिज किया जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर